

विज्ञाप्ति

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं०-१४/एडमिन (डी)सेक्शन, दिनांकित १५ अक्टूबर, २०२२ के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सीतापुर द्वारा दीवानी न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति किये जाने के सम्बंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक दिनांक ०४.११.२०२२ को आहूत की गयी जिसमें प्रत्येक ग्रेड पे व वेतनमान में रिक्त पदों की संख्या के सन्दर्भ में प्रशासनिक अधिकारी एवं तृतीय लिपिक / लेखा लिपिक एवं केन्द्रीय नाजिर से आख्या आहूत की गयी, उनकी आख्यानुसार तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं०-१४/एडमिन (डी)सेक्शन, दिनांकित १५.१०.२०२२ के अनुपालन में जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से Substantive पदों के सापेक्ष मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत कराने के उपरांत पुर्णनियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होंगी:-

- १— उक्त जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु ६५ वर्ष पूर्ण न हुई हो।
- २— पुर्णनियुक्ति एक बार में ०१ वर्ष के लिए होगी अथवा जब तक वह ६५ वर्ष की आयु पूरी न कर ले।
- ३— उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसको पुनर्नियुक्ति प्रदान की जायेगी, को अंतिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाई जायेगी, के सिद्धांतों के आधार पर वेतन की धनराशि देय होगी।
- ४— सम्बंधित कर्मचारी का पूर्व रिकार्ड और उसकी वार्षिक चरित्र पंजिका को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यदि कोई जनपद न्यायालय का सेवानिवृत्त कर्मचारी तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर उपरोक्त निर्देश के अनुसार पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हैं तो वह १० दिन के भीतर जनपद न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इस विज्ञाप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा की जाए तथा एक प्रति मा० उच्च न्यायालय को Official website पर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाए।


(अजय कृष्ण)

अध्यक्ष,

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-०१
सीतापुर।

29.11.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— बाह्य न्यायालय बिसवाँ एवं महमूदाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय के परिसर में नोटिस बोर्ड पर चर्चा करवा देंगे।
- २— ग्राम न्यायालय सिधौली एवं लहरपुर को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय के परिसर में नोटिस बोर्ड पर चर्चा करवा देंगे।
- ३— सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर सेक्शन, दीवानी न्यायालय सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि वह न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
- ४— प्रशासनिक अधिकारी दीवानी न्यायालय से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण जिनकी आयु ६५ वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुई है, को दूरभाष से अवगत करायें।


(अजय कृष्ण)

अध्यक्ष,

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-०१

सीतापुर।


29.11.2022

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं०-१४ / एडमिन (डी)सेक्शन, दिनांकित १५.१०.
२०२२ तथा विज्ञप्ति दिनांकि २९.११.२०२२ के अनुपालन मेंपद पर पुनर्नियुक्ति हेतु

आवेद पत्र

आवेदित पद का नाम

- 1-आवेदक का नाम—.....
2-पिता/पति का नाम—.....
3-जन्म तिथि..... (आयु ६५वर्ष से कम हो)
4-वर्तमान पता.....



- 5-स्थायी पता.....
.....
6-शैक्षणिक योग्यता.....
7-श्रेणी जाति.....
8-मोबाइल नं०.....
9-सेवानिवृत्त का दिनांक.....
10-फिटनेस प्रमाण पत्र.....
11-पहचान पत्र.....

(आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपरोक्त आवेदित पद पर पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। उपरोक्त अंकित तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। इसका कोई अंश असत्य नहीं है, यदि कोई अंश असत्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। उसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक—

स्थान—